न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 09/2018

1 गणेश पुत्र नाराणा
2 ताराचन्द पुत्र नाराणा
समस्त जाति गुर्जर, निवासीगण भिटेरा, तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।
3 मृतक गजानन्द पुत्र नाराणा, जाति गुर्जर, निवासीगण भिटेरा, तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।' दौराने अपील देहान्त हो गया।'
3/1 रामसिंह पुत्र स्व. गजानन्द
3/2 मुकेश कुमार पुत्र स्व. गजानन्द
3/3 सीताराम पुत्र स्व. गजानन्द
जाति गुर्जर, निवासीगण भिटेरा, तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।
3/4 श्रीमती मंजू पुत्री स्व. गजानंद पत्नी कृष्ण कुमार जाति गुर्जर निवासी जयसिंहपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।
4 धूड़ा पुत्र गुलाब दोहिता नाराणा, जाति गुर्जर, निवासीगण भिटेरा, तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 जगदीश पुत्र जमनाराम
2 सुनिताा पत्नी भादर
3 राजेन्द्र पुत्र भादर
4 सुरेन्द्र पुत्र भादर आयु 15 साल नाबालिग जरिये माता सुनिता देवी पत्नी भादर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

5 श्रीराम पुत्र जमनाराम
जाति गुर्जर, निवासीगण भिटेरा, तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।
6 मृतक संतोष पत्नी माडुराम जाति गुर्जर, निवासीगण भिटेरा, तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.। 'दौराने अपील देहान्त हो गया।'
6/1 आशा पत्नी विजेन्द्र पुत्री संतोष जाति गुर्जर निवासी टीबा बसई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।
6/2 माया पत्नी प्रदीप पुत्री संतोष जाति गुर्जर निवासी टीबा बसई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।
6/3 मनोज पत्नी ताराचन्द्र पुत्री संतोष जाति गुर्जर निवासी गणेशर, तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।
7 संदीप पुत्र माडुराम नाबालिक जरिये माता संतोष देवी पत्नी माडुराम
8 रोहिताश पुत्र सुरजा
9 भादर पुत्र रामदेवा
10 भंवरलाल पुत्र रामदेवा
11 लिक्ष्मण पुत्र रामदेवा
12 हरिराम पुत्र रामदेवा
13 गोकुल पुत्र रामदेवा
14 बाबूलाल पुत्र महादा
जाति गुर्जर, निवासीगण भिटेरा, तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।
15 मृतक श्रवणी बेवा महादा जाति गुर्जर, निवासीगण भिटेरा, तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।
16 श्रवणी बेवा भोबाराम जाति अहीर, निवासीगण भिटेरा, तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।
17 लक्ष्मी पत्नी धीरमल, जाति अहीर, निवासीगण भिटेरा, तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।
18 संतोष पत्नी मामचन्द जाति अहीर, निवासीगण भिटेरा, तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

19 मृतक लक्ष्मीचन्द पुत्र मल्लुराम जाति अहीर निवासी नवादा तहसील व जिला गुड़गांव (हरियाणा)
19/1 नरेश कुमार पुत्र लक्ष्मीचन्द जाति अहीर निवासी नवादा तहसील व जिला गुड़गांव (हरियाणा)
20 ईश्वर सिंह पुत्र मल्लुराम
21 राजपाल सिंह पुत्र सुरत सिंह
22 हुकम सिंह पुत्र सुरत सिंह
23 कृष्ण कुमार पुत्र बलवन्त सिंह
24 अजयपाल सिंह पुत्र बलवन्त सिंह
25 प्रहलाद सिंह पुत्र बलवन्त सिंह
समस्त जाति अहीर निवासी नवादा, तहसील व जिला गुड़गांव हरियाणा।
26 सीता पुत्र नोरंग जाति गुर्जर, निवासीगण भिटेरा, तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।
27 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 26.12.2017 बमुकदमा
उनवानी गणेश आदि बनाम जगदीश वगैरह बाबत
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 रूल 13 सपठित
धारा 151 सीपीसी मुकदमा नम्बर 10/2016 अज
अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक
कलेक्टर खेतड़ी जिला झुन्झुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री अनिल कुमार झाझड़िया, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सुभाष चन्द, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 25.7.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर खेतड़ी द्वारा मुकदमा 10/2016 में पारित निर्णय दिनांक 26.12.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के उनवानी वाद जगदीश आदि बनाम गणेश वगैरह मुकदमा नम्बर 111/2008 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर खेतड़ी में दिनांक 08.06.2011 को वाद वादीगण को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया जिसके बाद उक्त वाद के वादीगण ने दिनांक 21.07.2011 को दरख्वास्त बाज दायरी अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 सीपीसी मय दर. दफा 5 मियाद अधिनियम पेश की। उक्त दरख्वास्त की सुनवाई के दौरान दिनांक 26.12. 2011 को विचारण न्यायालय ने उक्त दरख्वास्त के अप्रार्थी नम्बर 1 लगायत 5 की गलत रूप से तामील मानते उनक विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर उक्त बाज दायरी दरख्वास्त को आगामी तारीख पेशी 02.07.2013 को गलत रूप से उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 26.12.2011 को स्वीकार मानकर उक्त दावा को पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेा फरमाया। जिसके बाद विचारण न्यायालय ने उक्त दावा को पुनः नम्बर पर लेकर उक्त दावा में आगामी तारीख पेशी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

दिनांक 19.07.2014 नियत की। जिसके पश्चात दावा की ऑर्डरशीट में तो उक्त प्रकरण के लिए तारीख पेशी 31.07.2015 नियत की गई थी जबकि विचारण न्यायालय ने उक्त दावा का निर्णय दिनांक 27.07.2015 को ही नियत तारीख से पूर्व ही वादी वादी दिनांक 27.07.2015 को डिक्री कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 27.07.2015 की कोई जानकारी अपीलान्ट को नहीं थी। बाद में अपीलान्ट ने जनवरी 2016 में जब अपनी कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड की नकल हल्का पटवारी से मांगी तो हल्का पटवारी ने अपीलान्ट को बताया कि आपकी कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में विचारण न्यायालय के मुकदमा नम्बर 111/2008 के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.07.2015 की पालना में राजस्व रिकार्ड में बदलाव आ गया जिस पर अपीलान्ट को दिनांक 18.01.2016 को मुकदमा नम्बर 111/2008 की सम्पूर्ण कार्यवाही एवं निर्णय व डिक्री दिनांक 27.07.2015 की नकल लेने पर जानकारी हुई। जिसके बाद अपीलान्टस ने विचारण न्यायालय में दिनांक 08.02.2016 को उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 27.07.2015 से आहत होकर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 व धारा 151 सीपीसी का पेश किया जिसे विचारण न्यायालय ने दिनांक 26.12.2017 को खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि आदेश 09 नियम 09 सीपीसी के प्रार्थना पत्र में अपीलान्टस पर हुई तामील फोर्ज्ड रूप से करवाई हुई तामील थी जबकि उनके हस्ताक्षर किसी भी सम्मन पर नहीं थे और न ही उन्हें कोई सम्मन मिले। इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 09 सीपीसी में अपीलान्टस की तामील पर्याप्त मानने में गलती कानूनी की है व इसके पश्चात दावा पुनः नम्बर पर लेने के पश्चात अपीलान्टस को कोई तामील नोटिस विचारण न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया गया जो कि एक आज्ञापक प्रावधान था जिसकी पालना विचारण न्यायालय ने नहीं की व प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 09 सीपीसी में गलत रूप से मानी गई तामील को ही दावे की तामील मान

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

ली जो कानूनी प्रावधानों के विपरित है व दावे का निर्णय बिना कोई अपीलान्टस को सूचना दिए ही दावे को डिक्री कर दिया। विचारण न्यायालय की आदेशिकाएं देखने से पता चलता है कि दिनांक 24.07.2015 को पत्रावली वास्ते विभाजन प्रस्ताव हेतु दिनांक 31.07.2015 नियत की गई थी परन्तु दिनांक 28.07.2015 को ही पत्रावली बिना किसी आदेशिका के पेशी में ली गई व दिनांक 28.07.2015 को आदेशिका में अंकित किया गया कि 'वादी उप.। तहसीलदार खेतड़ी ने विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाए है विभाजन प्रस्ताव पर वादी को सुना गया विभाजन प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया गया। अतः वाद वादीगण अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है मिसल फैशल होकर नम्बर से कम हो जबकि विचारण न्यायालय ने अपना निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27. 07.2015 को कर दिया। दिनांक 27.07.2015 की न तो पत्रावली में कोई पेशी थी और न ही दिनांक 28.07.2015 को कोई पेशी थी, न ही ऐसा कोई प्रार्थना पत्र पेश किया गया हो, आदेशीका में वर्णित है। पूर्व से निर्धारित पेशी दिनांक 31.07.2015 से पूर्व ही पत्रावली पेशी में कैसे आई व किस प्रकार उक्त पत्रावली का निर्णय हो गया, कहीं कोई वर्णन नहीं है। इस प्रकार के निर्णय व डिक्री स्पष्ट तौर पर यह इंगित करते है कि यह निर्णय व डिक्री अनुचित तरीको से जारी किये गये निर्णय व डिक्री है जो रिकार्ड व कानून का मखौल उड़ाकर जारी किये गये है तथा विचारण न्यायालय ऐसे निर्णय व डिक्री को अपने आदेश दिनांक 26.12.2017 में यह कहकर उसका बचाव करती है कि निर्णय गुणावगुण के आधार पर किया गया है। दौरान दावा प्रतिवादी संख्या 2 सोनी बेवा नाराणा की मृत्यु दिनांक 07.11.2013 को हो गई थी जिसकी कोई सूचना वादी द्वारा न्यायालय को नहीं दी गई। इसके बावजूद विचारण न्यायालय ने मृत व्यक्ति के विरूद्ध प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 15.05.2015 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 27.07.2015 जारी की जो मृत व्यक्ति के विरूद्ध जारी होने से डिक्री पूर्ण रूप से शुन्य व नलिटी की डिक्री है तथा ऐसे दावे मे उक्त डिक्रियां जारी की गई है जो अबेट हो चुका था इस बात पर भी विचारण न्यायालय ने कोई गोर न कर गलती कानूनी की है। इस कारण भी विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.12.2017 खारिज होने योग्य है व प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 सीपीसी स्वीकार होकर प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 15.05.2015 व अन्तिम डिक्री दिनांक 27.07.2015, 28.07.2015 अपास्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय में जो दावा प्रस्तुत किया गया वह दावा खाता संख्या 140 के खसरा नम्बर 252, 263, 352 व 264 कुल किता रकबा 5.70 हैक्टेयर भूमि बाबत किया गया था जिसमें उक्त दावे के वादीगण ने अपने सम्पूर्ण हिस्से से भी अधिक भूमि को एक विक्रय पत्र दिनांक 09.01.1995 के जरिए प्रतिवादी नम्बर 7 लगायत 11 को विक्रय कर दिया था। अब उस विक्रय पत्र को ही उक्त दावा से विक्रय पत्र को ही बदल दिया जिसका हक व अधिकार इस न्यायालय को नहीं था। इस बात पर भी कोई गौर न कर विचारण न्यायालय ने गलती कानूनी की है। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत हुये दावे में वादीगण ने यह कथन किया है कि भूमि खाता संख्या 142 में वादीगण का 1/4 हिस्सा है तथा वादी श्रीराम व जगदीश का नाम गीगा व नानग गलत दर्ज कर रखा है जबकि विक्रय पत्र दिनांक 09.01.1995 में उक्त वादी श्रीराम व जगदीश ने अपने आपको गीगा व नानग बताकर ही विक्रय पत्र तस्दीक करवाया व अपने सम्पूर्ण हिस्से से अधिक भूमि का बेचान किया। इस बात पर भी विचारण न्यायालय ने कोई गौर न कर प्रारम्भिक डिक्री व अन्तिम डिक्री गुणावगुण के आधार पर जारी होना मानने में व अपीलान्टस का प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 सीपीसी खारिज करने में कानूनी गलती की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 की ओर से श्री नागरमल अवाना एडेवोकेट ने वकालतनामा पेश किया था जिसमें उनको जवाब हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, तत्पश्चात प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई थी। ऐसी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

स्थिति में अपीलांट का आवेदन आदेश 09 नियम 13 खारिज करने में विचारण न्यायालय ने कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वाद संख्या 111/2008 विभाजन व रिकार्ड दुरूस्ती का रेस्पोडेन्ट का विचाराधीन था। इस वाद में अपीलांट की जरिये वकील उपस्थिति रही थी। यह वाद दिनांक 08.06.2011 को अदम हाजरी में खारिज हो गया। इसके उपरांत दिनांक 02.07.2013 को विचारण न्यायालय ने वादीगण् रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 09 स्वीकार कर दावे को पुनः नम्बर पर ले लिया। दावा पुनः नम्बर पर लेने के पश्चात अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किये गये है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना किये बिना अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना वाद डिक्री किया है। इस डिक्री में अपीलांट द्वारा विचाराधीन प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 प्रस्तुत किया गया था। विधि अनुसार अपीलांट का आवेदन स्वीकार योग्य था किन्तु विचारण न्यायालय ने सम्पूर्ण तथ्यों को विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय से अपीलांट का आवेदन खारिज कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रार्थीगण अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन आदेश 09 नियम 13 स्वीकार किया जाकर विचारण न्यायालय द्वारा वाद संख्या 118/2008 (181/2013) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.05.2015 एवं 28.07.2015 को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को अपीलांट को जवाबदेही साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधिक प्रकिया की पालना कर बाद सुनवाई

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय के निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.08.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 25.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर